तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मूलसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2025/1391**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक 1848 दिनांक 04.12.2025 से प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय की पत्रावली संख्या प./13/5/127/प./2013 शिकायत विरूद्ध श्रीमती कमला भावरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पचलंगी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कुल 320 पृष्ठ की है, जिसका प्रतिलिपि शुल्क 320 X 2= 640/—(अक्षरे छः सौ चालिस रूपये) किसी भी कार्य दिवस में राजकोष में जमा करवाकर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 397 दिनांक 07.05.2025 द्वारा प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया है, प्रार्थी/आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा करवाकर रसीद कार्यालय में आदिनांक प्रस्तुत नही करने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि कार्यालय के पत्रांक 397 दिनांक 07.05.2025 द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा करवाने बाबत अवगत कराये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा करवाने पर उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) (अपीलेट अधिकारी) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	